

न्यायालय— विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0एक्ट जांजगीर,
जिला जांजगीर—चांपा (छ0ग0) द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक
901 / 2022, जोधराम राठौर विरुद्ध छ0ग0 शासन में पारित
आदेश दिनांक 12.10.2022 की प्रतिलिपि :-

आरक्षी केन्द्र जांजगीर
अपराध क्र. 690 / 22

जोधराम राठौर, पिता लोकनाथ राठौर, उम्र 48 वर्ष
निवासी केरा रोड जांजगीर, थाना जांजगीर
जिला जांजगीर—चांपा छ0ग0

..... आवेदक

—विरुद्ध—

छ0ग0 शासन
द्वारा जिला दण्डाधिकारी जांजगीर
जिला जांजगीर—चांपा छ0ग0

..... अनावेदक

12.10.2022

श्री एम0जे0कुरैशी अधिवक्ता वास्ते आवेदक/अभियुक्त
जोधराम राठौर ।

श्रीमती शशिकला जांगड़े विशेष लोक अभियोजक वास्ते
राज्य ।

थाना जांजगीर से अपराध क्रमांक 690 / 2022 धारा 20
बी एन0डी0पी0एस0 एक्ट से संबंधित केस डायरी प्राप्त ।

इसी स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके
अधिवक्ता श्री जमील कुरैशी द्वारा भविष्य में पुनः जमानत
आवेदन पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत
जमानत आवेदन पत्र पर बल नहीं देना व्यक्त किया गया ।

अतः आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत
आवेदन पर बल नहीं दिये जाने के आधार पर प्रस्तुत आवेदन

पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. बिना गुणदोष पर विचार किये, अभियुक्त को पुनः जमानत आवेदन पेश करने का अधिकार प्रदान करते हुए निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी संबंधित थाना को वापस लौटायी जावे।

इस जमानत आवेदन पत्र को रिमाण्ड प्रपत्र के साथ संलग्न किया जावे।

(सुरेश जून)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
जिला जांजगीर—चांपा (छ.ग.)